



संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/ A3-99(9)/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 608 दिनांक 02.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल को एम0ए0-योग (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।	एम0ए0-योग (स्ववित्तपोषित)	60 सीट	2020-21 एवं 2021-22

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।
- उक्त महाविद्यालय के मानक यथा भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा एन्टी रैगिंग समितियों का गठन सम्बन्धी मानक पूर्ण नहीं हैं। विश्वविद्यालय छात्र हित में उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानक U.G.C विनियम/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करायेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन/उच्च शिक्षा विभाग से कार्यवाई अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्या: 2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3303 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/ A3-99(9)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
- प्रबन्धक/प्राचार्य-एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।